रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 27 सितम्बर, 2001/5 आश्विन, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 सितम्बर, 2001

संख्या गृह (ए) ए (4)-12/2001.—छोटा शिमला की स्थानीय निवासी श्रीमती कला ठाकुर ने पुलिस स्टेशन शिमला पुर्व में एक परिवाद (शिकायत) दायर किया जिसमें उसने यह अभिकथित किया कि

1772-राजपत्र/2001-27-9-2001—1,353. (2695) मूल्य : 1 रुपया ।

उसकी गाय, श्री के0 एस0 धारीवाल, सेवा निवृत महानिरीक्षक पुलिस के निवास "फेयर व्यू" शिमला के प्रांगण में मृत पाई गई और उसकी गाय को या तो गोली चला कर मारा गया है या जहर देकर मारा गया है;

श्रीमती कला ठाकुर द्वारा दायर परिवाद पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 429/427/34 के अधीन तारीख 31-8-2001 को मामला संख्या 186/2001 पुलिस स्टेशन, शिमला पूर्व में दर्ज किया गया तथा गाय का पोस्ट मार्टम किया गया और जांच आरम्भ कर दी गई;

तारीख 13-8-2001 को 4.30 बजे अपराहन श्रीमती ठाकुर ने पुलिस स्टेशन पूर्व को सूचित किया कि उसकी दूसरी गाय, जो 12-8-2001 की शाम से अस्वस्थ थी, भी मर गई है। इस सूचना को प्राप्ति पर दूसरी गाय का मामला भी पुलिस द्वारा जांच के लिए उठाया गया;

इन घटनाओं ने, विधि और व्यवस्था बनाए रखने में गम्भीर लोक सम्बद्धता (उद्विगनता) पैदा कर दी है, जिससे इस मामले में न्यायिक जांच की जानी अपेक्षित हो गई है, जो कि लोक महत्व की है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, की यह राय है कि यह अत्याधिक समीचीन और लोकहित में होगा कि उपरोक्त घटनाओं जो कि लोक महत्व की है, की जांच कराने हेतु जांच आयोग नियुक्त किया जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री हरिदत कैथला, सेवा निवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न-लिखित मामलों की जांच करने और उन पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, उपरोक्त मामले के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जांच आयोग नियुक्त करते हैं :—

(I) गायों की मौत की संकेतक घटनाओं में अनुक्रम स्थापित करना;

(II) यह स्थापित करना कि क्या मौतें प्राकृतिक थी या किसी द्वारा कोई साजिश के परिणामस्वरूप हुई ;

(III) ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए सुझाव।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, की यह भी राय है कि संचालित की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धाराएं (2), (3), (4) और (5) के उपबन्ध, आयोग को लागू किए जाएं और उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धाराएं (2), (3), (4) और (5) में अन्तर्विष्ट उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

आयोग का मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, शिमला अवस्थित होगा और आयोग ऐसे स्थानों पर भी जा सकेगा जो जांच की प्रगति में आवश्यक हो।

आदेश द्वारा,

हर्ष गुप्ता,
मुख्य सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

[*Authoritative English Context of this Department's Notification No. Home-(A)-A(4)-12/2001, dated 14th September, 2001 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 14th September*, 2001

No. Home (A)-A(4)-12/2001.—WHEREAS Smt. Kala Thakur, resident of Chhota Shimla lodged a complaint in Police Station, Shimla East alleging therein that her Cow has been found dead in the courtyard of Shri K. S. Dhaliwal, Retd. Inspector General of Police at "Fair View", Shimla and her Cow has been killed either by firing or by administering poison;

AND WHEREAS on the basis of complaint of Smt. Kala Thakur, a case No. 186/2001, dated 13-8-2001 under Section 429/427/34 IPC was registered in Shimla East Police Station and postmortem of the Cow was carried out and the investigation was started;

AND WHEREAS at 4.30 P.M. on 13-8-2001 Smt. Kala Thakur informed the Police Station Shimla East that her second Cow which was unwell since evening of 12-8-2001 has also died. On receipt of this information the death of second Cow was also taken up for investigation by the Police;

AND WHEREAS these incidents have caused serious public concern over the maintenance of law and order requiring Judicial Inquiry into the matter, which is of public importance;

AND NOW WHEREAS, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in the public interest to appoint a Commission of Enquiry to enquire into the aforesaid incidents, which are the matters of public importance;

NOW therefore, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Sub-Section (1) of Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, is pleased to appoint Shri Hari Dutt Kainthla, retired District and Sessions Judge as the Commission of Inquiry and to enquire into and report on the following matters in relation to aforementioned incidents within a period of 3 months from the date of publication of this notification :—

(*i*) To establish sequence of events leading to the death of the Cows;

(*ii*) To establish whether the deaths were natural or due to some foul play by someone.

(*iii*) Suggestions for the prevention of such incidents.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that having regard to the nature of the inquiry to be conducted and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the Commission of Inquiry Act, 1952, should be made applicable to the Commission and in exercise of the powers vested in him under Sub-section (1) of Section 5 of the aforesaid Act is pleased to direct that the provisions contained in Sub-section (2), (3), (4) and (5) of Section 5 of the said Act shall apply to the Commission.

The Commission shall have its headquarters at D.C. Office, Shimla and may also visit such places as may be necessary in the furtherance of the Inquiry.

By order,

HARSH GUPTA,
Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित